रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 2002/वैशाख 24, 1924
No. 432] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 2002/VAISAKHA 24, 1924

CENTRAL S. LIBRARY

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2002

का.आ. 509 (अ).—लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (जिसे इसमें इसके पश्चात् लिट्टे कहा गया है) वास्तव में श्रीलंका में आधारित संगम है किन्तु जिसके सहानुभूतिकर्ता, समर्थक और अभिकर्ता भारतीय भूमि पर भी हैं ;

और लिट्टे का सभी तमिलों के लिए स्वदेश प्राप्ति का उद्देश्य भारत की संप्रभुता और राज्यक्षेत्रीय अखंडता को विभाजित करता है और इस प्रकार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप की परिधि के भीतर आता है ;

और लिट्टे द्वारा सभी तमिलों के लिए पृथक स्वदेश (तमिल ईलम) के उद्देश्य के लिए लगातार उग्रवादी कार्रवाईयों से भारत की संप्रभुता और राज्यक्षेत्रीय अखंडता को खतरा बना हुआ है;

और अधिकांश आपराधिक मामलों की, जिनमें लिट्टे और तमिल नेशनल रीट्रिवल ट्रूप्स (टी एन आर टी) और तमिलियर पासराई जैसे लिट्टे समर्थक ग्रुप अन्तर्वलित हैं, दोषसिद्धि में समाप्ति हुई है और तमिल ईलम धारणा अभी तक तमिलनाडु में लिट्टे समर्थक समूहों के बीच उद्देश्य के रूप में बनी हुई है तथा शक्तियां अभी तक इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं, जो उस भेद्य स्थिति में योगदान कर रही हैं, जिसमें लिट्टे का भारत में विधिपूर्ण संगम के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करना, यदि अनुज्ञात कर दिया जाए तो, भारत की संप्रभुता और राज्यक्षेत्रीय अखंडता के लिए अत्यधिक अहितकर होगा;

और लिट्टे श्रीलंका में अत्यधिक सशक्त आतंकवादी बल बना हुआ है और इस समय विश्व में अत्यधिक घातक आतंकवादी संगठनों में से एक है जिसके तमिलनाडु में गहरे संपर्क हैं ;

और लिट्टे कठोर आतंकवादी आंदोलन बना हुआ है तथा जब तक श्रीलंका तमिल ईलम के लिए मांग से, जो श्रीलंकन तमिलों और श्रीलंका में भारतीय तमिलों और तमिलनाडु में पृथकतावादी तमिल और देशोन्मादियों के बीच भाषात्मक, सांस्कृतिक, जातीय, ऐतिहासिक लगाव के कारण तमिलनाडु में जोरदार गूंज पाती है, विभाजित जातीय संघर्ष की स्थिति में रहता है; लिट्टे समर्थक समूह हमेशा तमिलनाडु में लिट्टे का समर्थक आधार बढ़ाने के लिए विलगाव संबंधी भावना को उत्तेजित करने का प्रयास करेंगे, जिससे भारत की राज्यक्षेत्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव होगा;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से लिट्टे एक विधिविरुद्ध संगम है और सभी संभव साधनों द्वारा सभी ऐसे पृथकतावादी क्रियाकलापों का नियंत्रण करने के लिए लगातार बहुत अधिक आवश्यकता है ;

और केन्द्रीय सरकार के पास जानकारी है कि—

(क) सी टाइगर मोड्यूल और फाइनेंस विंग मोड्यूल तमिलनाडु में पृथक रूप से कार्य कर रहे थे तथा लिट्टे के उपयोग के लिए तमिलनाडु से श्रीलंका के लिए आवश्यक मदों की तस्करी करने में संलिप्त थे,

(ख) उन शरणार्थियों की जो तटीय जिलों से होकर तमिलनाडु चले गए हैं, पूर्ण रूप से छानबीन की गई थी और ऐसी छानबीन के परिणामस्वरूप 14-5-2000 से आज तक लिट्टे संबंधों वाले लगभग 60 शरणार्थियों की पहचान की गई थी और उन्हें राज्य में तीन विशेष कैम्पों में रखा गया था,

(ग) कन्नड़ नाट्याभिनयमूर्ति डॉ. राजकुमार की मुक्ति के लिए वन डकैत वीरप्पन द्वारा रखी गई मांगें और वैबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. दलितस्तान.आरग/तमिल की अन्तर्वस्तुएँ प्रदर्शित करती हैं कि लिट्टे के समर्थक भारत को अस्थिर करने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं और भारत की संप्रभुता और राज्यक्षेत्रीय अखंडता को चुनौती दे रहे हैं;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लिट्टे के क्रियाकलाप भारत की संप्रभुता और राज्यक्षेत्रीय एकता तथा लोक व्यवस्था के लिए खतरा लिट्टे का बनाए हुए हैं और उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हैं; और इसलिए उसे विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार की आगे राय है कि इसके भारत की अखंडता और संप्रभुता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले सतत हिंसक तथा विभाजक क्रियाकलापों के कारण और क्योंकि यह लगातार गहरी भारत विरोधी मन: स्थिति अपनाए हुए है और इससे भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा को गंभीर भय बना हुआ है, यह आवश्यक है कि लिट्टे को तुरन्त प्रभाव से "विधिविरुद्ध संगम" घोषित किया जाए;

अत:, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) को "विधिविरुद्ध संगम" घोषित करती है;

और आगे केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि यह अधिसूचना किसी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाए, राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से तुरन्त प्रभावी होगी।

[सं. आई-11034/9/2002-आई एस डी आई (ए)]

संगीता गैरोला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2002

S.O. 509(E).—Whereas the Liberation Tigers of Tamil Eelam (hereinafter referred to as the LTTE), is an association actually based in Sri Lanka but having sympathizers, supporters and agents on the Indian soil;

And whereas, the LTTE's objective for a homeland for all Tamils disrupts the sovereignty and territorial integrity of India and thus, falls within the ambit of an unlawful activity;

And whereas, the continuing militant pursuits by the LTTE of the objective of a separate homeland (Tamil Eelam) for all tamils, threatens the sovereignty and territorial integrity of India;

And whereas, most of the criminal cases involving the LTTE and pro-LTTE groups like Tamil National Retrieval Troops (TNRT) and Tamiliar Pasarai, have ended in conviction and the Tamil Eelam concept still remains as a goal among the pro-LTTE groups in Tamil Nadu and the forces are still at work to further its cause, thereby contributing to the vulnerable milieu in which the LTTE's free functioning in India as a lawful association, if allowed, would be highly detrimental to the sovereignty and territorial integrity of India;

And whereas, the LTTE continues to be an extremely potent terrorist force in Sri Lanka and is presently one of the deadliest terrorist organisations in the world which has strong connections in Tamil Nadu;

And whereas, the LTTE continues to remain a strong terrorist movement and so long as Sri Lanka continues to remain in a state of ethnic strife, torn by the demand for Tamil Eelam, which finds a strong echo in Tamil Nadu due to the linguistic, cultural, ethnic and historical affinity between the Sri Lankan tamils and the Indian tamils in Sri Lanka; and the separatist tamil chauvinist forces in Tamil Nadu, the pro-LTTE groups will always try to stimulate the secessionist senti-

ments to enhance the support base of the LTTE in Tamil Nadu which will have an adverse influence over the territorial integrity of India;

And whereas, the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the LTTE is an unlawful association and there is continuing strong need to control all such separatist activities by all possible means;

And whereas, the Central Government has the information that—

(a) Sea Tiger Module and Finance Wing Module were operating separately in Tamil Nadu and were indulging in smuggling of essential items from Tamil Nadu to Sri Lanka for the use of LTTE,

(b) the refugees who have crossed over to Tamil Nadu through the coastal districts were screened thoroughly and as a result of such screening since 14-5-2000 till date around 60 refugees with LTTE connections were identified and lodged in the three special camps in the State,

(c) the demands put forth by forest brigand Veerappan for the release of the Kannada Matinee idol Dr. Rajkumar and the contents of the website www. Dalitstan.org/Tamil show that the LTTE supporters are waiting for a chance to de-stabilise India and are challenging the sovereignty and territorial integrity of India;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the LTTE continue to pose threat to and are detrimental to the sovereignty and territorial integrity of India as also public order; and therefore, should be declared as an unlawful association;

And whereas, the Central Government is further of the opinion that because (i) of its continued violent and disruptive activities prejudicial to the integrity and sovereignty of India and (ii) it continues to adopt a strong anti-India posture and also continues to pose a grave threat to the security of Indian nationals, it is necessary to declare the LTTE as "an unlawful association" with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) as an unlawful association;

And further in exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-section (3) of the said Section, the Central Government hereby directs that this notification shall, subjects to any order that may be made under Section 4 of the said Act, have immediate effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. I-11034/9/2002-ISDI(A)]

SANGITA GAIROLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.